

अनुदान संख्या 7 - उर्वरक विभाग
GRANT No.7 – DEPARTMENT OF FERTILISERS

	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving -
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)

राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत -	Voted-			
मूल	Original	52865,46,00		
		65865,47,00	65863,87,52	-1,59,48
पूरक	Supplementary	13000,01,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1,76,31
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत -	Voted-	209,54,00	209,49,00	-5,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			5,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹176.31 लाख) ₹159.48 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई ।

1. In the revenue section of the grant, the amount surrendered (₹176.31 lakhs) exceeded the overall savings of ₹159.48 lakhs.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2401"	Major Head "2401"			
फसल कृषि कर्म	Crop Husbandry			
मू.	O.	3686000.00		
पू.	S.	1300000.00	5075595.00	5075595.00
पु.	R.	89595.00		..
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"			
उद्योग	Industries			
मू.	O.	1598820.00		
पू.	S.	1.00	1508730.78	1508735.27
पु.	R.	-90090.22		+4.49

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"			
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services			
मू.	O.	2.00		
			405.00	404.44
पु.	R.	403.00		-0.56

(I) ₹1.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "2852" - "उर्वरक उद्योग - उर्वरक सहायता - उर्वरक प्रतिधारण कीमत स्कीम के अंतर्गत भुगतान" के अंतर्गत ₹174000.00 लाख की बचत (₹1538000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उर्वरक कंपनियों से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2852" - "Fertiliser Industries - Fertiliser Subsidy - Payment under Fertilizers Retention Price Scheme" - saving of ₹174000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1538000.00 lakhs) was due to non-receipt of bills from fertilizer companies.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹56.16 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 28 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹56.16 lakhs occurred constituting 28 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹173999.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि अगस्त, 2010 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध के द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2. The above savings were partly (₹173999.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in August, 2010 and vide Annexure to the Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "2401" - "उर्वरकों का आयात - यूरिया का आयात" - ₹89595.00 लाख।

(I) Major Head "2401" - "Import of Fertilizers - Import of Urea" - ₹89595.00 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष "2852" - "उर्वरक उद्योग - उर्वरक सब्सिडी - उर्वरक भाड़ा आर्थिक सहायता स्कीम के अंतर्गत भुगतान" - ₹84000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹83999.00 लाख था।

(II) Major Head "2852" - "Fertilizer Industries- Fertilizer Subsidy - Payments under Fertilizer Freight Subsidy Scheme" - ₹84000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹83999.00 lakhs.

(III) मुख्य शीर्ष “3475” - अन्य व्यय - ऋणों/इक्विटी को बट्टे खाते डालना” - ₹404.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹403.44 लाख था।

(III) Major Head “3475” - “Other Expenditure – Write off Loans/Equity” – ₹404.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹403.44 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “6552” उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए ऋण	Major Head “6552” Loans for North Eastern Areas			
मू.	O. 4499.00
पु.	R. -4499.00			
मुख्य शीर्ष “6855” उर्वरक उद्योगों के लिए ऋण	Major Head “6855” Loans for Fertilizer Industries			
मू.	O. 16454.00	20949.00	20949.00	..
पु.	R. 4495.00			

(I) ₹4503.00 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹4499.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अकेले मुख्य शीर्ष “6552” - “सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को ऋण - ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लि.” के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹4503.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads; of these ₹4499.00 lakhs alone accounted for under Major Head “6552” – “Loans to Public Sector and Other Undertakings –Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Ltd.” - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “6855” - “सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹4498.00 लाख का अधिक व्यय (₹2.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “6552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head “6855” – “Loans to Public Sector and Other undertakings – Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Ltd.” - excess of ₹4498.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2.00lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “6552” to functional head for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.